14. **<u>जनशिक्षक के उत्तरदायित्व :–</u>**

जन शिक्षक के मुख्य उत्तरदायित्व निम्नानुसार होंगे:–

(क) जनशिक्षा केन्द्र के अधीन आने वाले स्कूलों में नामांकित समस्त बालकों के सीखने के स्तर की गुणवत्ता में सुधार करने के सभी प्रयत्न करना;

(ख) जनशिक्षा केन्द्र के अधीन आने वाले स्कूलों के ग्राम शिक्षा रजिस्टर को अद्यतन करने में मदद करना;

(ग) प्रत्येक प्राइमरी/शिक्षा गारंटी स्कूलों में निम्नलिखित सूचकों की प्रास्थिति का समन्वयन तथा पुनर्विलोकन करना और सुधार सुनिश्चित करना;

(एक) स्कूलों में बालकों का नामांकन;

(दो) स्कूल में नामांकित बालकों की नियमित उपस्थिति;

(तीन) स्कूल में नामांकित बालकों की उपलब्धि का स्तर।

(घ) जनशिक्षा केन्द्र के अधीन आने वाले स्कूलों के बालकों को प्रोत्साहन के वितरण को सुनिश्चित करना;

(ङ) जनशिक्षा केन्द्र के अधीन प्राइमरी/शिक्षा गारंटी स्कूलों की जनशिक्षा योजना तैयार करना;

(च) जनशिक्षा केन्द्र के अधीन आने वाले प्राइमरी स्कूल/शिक्षा गारंटी स्कूल/मिडिल स्कूल की वार्षिक शैक्षणिक रिपोर्ट को तैयार करने में मदद करना;

(छ) उस वासस्थान/वार्ड में, जहां एक से अधिक स्कूल है, ग्राम शिक्षा रजिस्टर/वार्ड शिक्षा रजिस्टर को अद्यतन करने तथा जनशिक्षा योजना बनाने, उसके संकलन तथा संधारण और उसके क्रियान्वयन का अनुश्रवण (मानीटर) करने के प्रयोजन के लिए एक नोडल स्कूल की पहचान करना;

(ज) जनशिक्षा केन्द्र के अधीन आने वाले प्राइमरी तथा शिक्षा गारंटी स्कूलों को शैक्षणिक सहयोग देना;

(झ) स्कूलों में सुधार करने तथा शिक्षकों की शैक्षिक क्षमता बढ़ाने के लिए स्कूल पर्यवेक्षण के समय मार्गदर्शन देना;

(ञ) संबंधित जनशिक्षा केन्द्र के प्राइमरी तथा शिक्षा गारंटी स्कूलों के शिक्षकों की जन शिक्षा केन्द्र पर मासिक बैठकें आयोजित करने में सहयोग देना। जनशिक्षा केन्द्र की बैठक की कार्यसूची, जनशिक्षक द्वारा पहचान किए गए शैक्षिक सूचकों से संबद्ध शैक्षणिक विषयों और उपलब्धि स्तर की रिपोर्ट के अनुसार तैयार की जाएगी;

(ट) जनशिक्षा केन्द्र के अधीन आने वाले समस्त प्राइमरी स्कूलों (मिडिल तथा हाई स्कूल के प्राइमरी सेक्शन को सम्मिलित करते हुए) तथा शिक्षा गारंटी स्कूलों का प्रत्येक माह में कम से कम एक बार पर्यवेक्षण करना;

(ठ) जनपद शिक्षा केन्द्र समन्वयक तथा जन शिक्षा प्रभारी को स्कूल पर्यवेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ड) जनशिक्षा केन्द्र के अधीन शिक्षा गारंटी स्कूलों/प्राइमरी स्कूलों की तिमाही तथा वार्षिक परीक्षाओं पर आधारित उपलब्धि का पुनर्विलोकन करने में समन्वय करना;

(ढ) मूल्यांकन के परिणामों का विश्लेषण करने, पाठ्यक्रम के कठिन बिन्दुओं की पहचान करने तथा उनका समाधान करने में शैक्षणिक सहयोग देने में शिक्षकों की मदद करना;

(ण) स्कूल के नवाचार संबंधी कियाकलापों को कार्यान्वित करने तथा अन्य स्कूलों में सफल नवाचार का पुनः प्रयोग करने में मदद करना;

(त) अभिभावक शिक्षक संघों तथा ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण कार्यकम का समन्वय करना;

(थ) अभिभावक शिक्षक संघों तथा शिक्षा समितियों की बैठकों में भाग लेना;

(द) लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रति समुदाय को प्रेरित करना और समाज के वंचित वर्ग को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना;

(ध) जनशिक्षा प्रभारी, जनपद शिक्षा केन्द्र, जिला शिक्षा केन्द्र तथा राज्य शिक्षा केन्द्र के समय समय पर आदेश के अनुसार अपेक्षित जानकारी संकलित करने में समन्वय करना;

(न) स्कूलों में निःशुल्क अध्यापन के लिए स्वयं सेवकों की सूची अनुमोदित करने में ग्राम की शिक्षा समिति की मदद करना;

(प) सूचना प्रौद्योगिकी तथा स्कूल के पुस्तकालय जैसी सुविधाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना;

(फ) शैक्षणिक गतिविधियों से भिन्न कीड़ा संबंधी तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना;

(ब) प्रौढ़ शिक्षा की गतिविधियों के साथ समन्वय करना;

(भ) शाला शिक्षा कोष के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने में मदद करना;

(म) समूह के प्राइमरी स्कूलों के शाला शिक्षा कोष की प्रास्थिति का प्रत्येक मास पुनर्विलोकन करना;

(य) यह अनुश्रवण (मानीटर) करना कि क्या समूह के स्कूलों में अधिनियम/नियमों के उपबंधों का पालन किया जा रहा है।

15. **जनपद शिक्षा केन्द्र :–**

(1) शिक्षा मिशन का विद्यमान विकास खण्ड स्त्रोत केन्द्र जनपद शिक्षा केन्द्र होगा।

(2) जनपद शिक्षा केन्द्र का एक जनपद शिक्षा केन्द्र समन्वयक होगा जो प्रारंभिक शिक्षा तथा प्रौढ़ साक्षरता से संबंधित समस्त गतिविधियों का समन्वय करने के लिए उत्तरदायी होगा। तीन जनपद शैक्षणिक समन्वयक होंगे, जो शैक्षणिक गतिविधियों के समन्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे और विकास खण्ड के शिक्षकों, विशेष रूप से मिडिल स्कूलों के शिक्षकों को स्कूल के पर्यवेक्षण के पश्चात् शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराएंगे।

(3) जनपद शैक्षणिक समन्वयक, जनपद शिक्षा केन्द्र समन्वयक के प्रति जवाबदार होगा। जनपद शैक्षणिक समन्वयक तथा जनपद शिक्षा केन्द्र समन्वयक, जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान के साथ ही जिला शिक्षा केन्द्र के प्रति जवाबदार होंगे।

16. **जनपद शिक्षा केन्द्र के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व :–**

जनपद शिक्षा केन्द्र के निम्नलिखित कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व होंगे :–

(क) जनपद शिक्षा केन्द्र के अधीन आने वाले स्कूलों में नामांकित समस्त बालकों के सीखने के स्तर की गुणवत्ता में सुधार के लिए समस्त प्रयास करना;

(ख) जनपद शिक्षा केन्द्र के अधीन आने वाले स्कूलों के ग्राम/वार्ड शिक्षा रजिस्टर को अद्यतन करने में सहायता करना तथा उसके प्रभावी उपयोग को सुकर बनाना;

(ग) जनपद शिक्षा केन्द्र के अधीन आने वाले समस्त स्कूलों के नियमित पर्यवेक्षण को सुनिश्चित करना;

(घ) विकास खण्ड स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के प्रशासनिक, वित्तीय तथा शैक्षणिक पहलुओं संबंधी उत्तरदायित्व को पूरा करना;

(ड.) वासस्थानों में से प्रत्येक वास स्थान में जनशिक्षा योजना तैयार करने में समन्वय करना और वासस्थानों में से प्रत्येक वासस्थान और जनशिक्षा केन्द्रों की जन शिक्षा योजना की जानकारी का नियत समय के भीतर संकलन करके जनपद शिक्षा योजना तैयार करना, उसका पुनर्विलोकन करना और उसे जिला शिक्षा केन्द्र को प्रस्तुत करना;

(च) प्रत्येक स्कूल में अभिभावक शिक्षक संघ की रचना, उनके प्रशिक्षण तथा उनकी गतिविधियों का लगातार पनर्विलोकन करना:

(छ) ग्राम की शिक्षा समिति के प्रशिक्षण तथा गतिविधियों का नियमित रूप से पुनर्विलोकन करना;

(ज) प्रत्येक स्कूल की वार्षिक शैक्षणिक रिपोर्ट तैयार करने में समन्वय करना, विकास खंड स्तर पर उसका संकलन करना, उसका विश्लेषण करना तथा जिला शिक्षा केन्द्र को प्रस्तुत करना;

(झ) स्कूल के बालकों का स्वास्थ्य परीक्षण तथा स्वास्थ्य रक्षा से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करना;

(ञ) मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, वृत्तिका/छात्रवृत्ति का नियमित वितरण तथा सरकार की अन्य प्रोत्साहन स्कीमों के कार्यान्वयन में सहायता करना, तथा उनके कार्यान्वयन की प्रास्थिति का समय समय पर पुनर्विलोकन करना;

(ट) स्कूल के पर्यवेक्षण के पश्चात् जन शिक्षा केन्द्रों, जन शिक्षकों और शिक्षकों, विशेषरूप से मिडिल स्कूल के शिक्षकों को शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराने में सहायता करना;

(ठ) जन शिक्षकों की स्कूल पर्यवेक्षण रिपोर्ट तथा जन शिक्षा केन्द्र की मासिक बैठकों के कार्यवृत्त का विश्लेषण करना, समस्याओं को जानना और समस्याओं को हल करने के लिए प्रशासनिक तथा शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराना;

(ड) शिक्षार्थियों की तिमाही तथा वार्षिक परीक्षाओं के परिणामों का विश्लेषण करना और उपचारात्मक उपायों संबंधी योजना के लिए जनशिक्षकों तथा शिक्षकों को मार्गदर्शन देना;

(ढ) मुख्य शैक्षणिक बिन्दुओं की प्रास्थिति के पुनर्विलोकन के लिए जन शिक्षकों तथा जन शिक्षा प्रभारियों की मासिक बैठकें आयोजित करना;

(ण) उन बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए, जिनके लिए जिला स्तर से मध्यक्षेप की जरूरत है, जनपद शिक्षा केन्द्र की बैठकों के कार्यवृत्त को, बैठक के एक सप्ताह के भीतर जिला शिक्षा केन्द्र को प्रस्तुत करना;

(त) मिडिल स्कूलों को विषयवार शैक्षणिक सहायता सुनिश्चित करना;

(थ) जन शिक्षा केन्द्र तथा जिला शिक्षा केन्द्र के बीच मुख्य समन्वयकारी इकाई (यूनिट) के रूप में कार्य करना और जिला शिक्षा केन्द्र तथा राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा यथा अपेक्षित जानकारी जन शिक्षा केन्द्र से एकत्रित करना;

(द) सरकार की विभिन्न विकास स्कीमों का कार्यान्वयन करने वाले अभिकरणों (एजेन्सी) के साथ समन्वय करके स्कूलों की मूल अपेक्षा की पूर्ति के लिए पहल करना;

(ध) शाला शिक्षा कोष तथा जिला शिक्षा कोष के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने में सहायता करना;

(न) शैक्षणिक गतिविधियों के लिए जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय करना;

(प) विकास खंड के भीतर प्रौढ़ शिक्षा की गतिविधियों को कार्यान्वित करना;

(फ) प्रशासनिक, वित्तीय तथा शैक्षणिक गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए शिक्षा मिशन के सम्बद्ध नियमों तथा विनियमों का पालन करना तथा बिकास खंड स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करना।